महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी परिषद्

विभागाध्यक्ष कार्यालय, इन्द्रावती भवन,
ब्लॉक–II, द्वितीय तल, नवा रायपुर, अटल नगर (छत्तीसगढ़)
☎0771-2331659, Email ID-nregastatecell@gmail.com

क्रमांक /2876/वि–7/MGNREGA/CFP/2020 अटल नगर, दिनांक– 22/10/2020

प्रति,

मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
छत्तीसगढ़ इंफोटेक एण्ड बायोटेक प्रमोशन सोसायटी **(Chips)**,
तृतीय तल, स्टेट डाटा सेंटर बिल्डिंग,
नवीन सर्किट हाऊस के सामने,
सिविल लाईन्स, रायपुर, छत्तीसगढ़।
पिनकोड– 492001

विषय :– विज्ञापन प्रारूप अपलोड करने बाबत्।

//0//

महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य में CFP (Cluster Facilitation Project) प्रारंभ किया जाना है। विकासखण्ड स्तर पर CFP के संचालन की जिम्मेदारी CSOs को सौंपे जाने हेतु पात्र CSOs से E.O.I. (Expression of Inrterest) आमंत्रित किया जाना है। इस हेतु **विज्ञापन सूचना एवं आवेदन पत्र प्रारूप** संलग्न कर प्रेषित है।

कृपया छत्तीसगढ़ शासन की अधिकृत वेबसाईट www.cgstate.gov.in के "Notice Board" में संलग्न **विज्ञापन सूचना एवं आवेदन पत्र प्रारूप** को दिनांक–26/11/2020 तक के लिये अपलोड करवाने का कष्ट करें, जिसका लिंक " **महात्मा गांधी नरेगा के अंतर्गत CFP (Cluster Facilitation Project) के संचालन हेतु पात्र CSOs से E.O.I. (Expression of Inrterest) आमंत्रण हेतु विज्ञापन** " के नाम से प्रदर्शित हो।

संलग्न :– विज्ञापन सूचना एवं आवेदन प्रारूप।

(मो. कैसर अब्दुलहक)
आयुक्त
महात्मा गांधी नरेगा
अटल नगर, नवा रायपुर (छ.ग.)

विज्ञापन प्रारूप

छत्तीसगढ़ शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

छत्तीसगढ़ शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग अंतर्गत संचालित महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत् राज्य के 11 जिलों से संबंधित 26 विकासखंडों में **CFP (Cluster Facilitation Project)** प्रारंभ किया जाना है। CFP के संचालन हेतु पात्र एवं इच्छुक NGOs/CSOs से **दिनांक–26/10/2020 से दिनांक–26/11/2020 की संध्या 5:00 बजे तक,** कार्यालयीन दिवसों में **रूचि की अभिव्यक्ति (Expression of Interest)** आमंत्रित किये जाते है।

जिन विकासखंडों में **Cluster Facilitation Project** प्रारंभ किया जाना है उनकी सूची निम्नानुसार है :–

क्र.	जिला	CFP के अंतर्गत विकासखण्डों की संख्या	विकासखण्डों के नाम	कुल क्लस्टर संख्या
1	2	3	4	5
1	राजनांदगांव	3	छुरिया	3
			अम्बागढ़ चौकी	2
			मोहला	2
2	महासमुंद	3	महासमुन्द	3
			बागबाहरा	3
			बसना	3
3	कोरबा	2	कोरबा	2
			पोड़ी–उपरोड़ा	3
4	कांकेर	3	कांकेर	2
			अंतागढ़	1
			दुर्गुकोंदल	1
5	बीजापुर	1	बीजापुर	3
6	बस्तर	4	बस्तर	2
			बास्तानार	1
			दरभा	1
			लोहण्डीगुड़ा	1
7	कोण्डागांव	3	कोण्डागांव	3
			केशकाल	1
			बड़ेराजपुर	2
8	दंतेवाड़ा	1	गीदम	1
9	नारायणपुर	1	नारायणपुर	1
10	सुकमा	1	सुकमा	1
11	सरगुजा	4	लखनपुर	2
			उदयपुर	2
			मैनपाट	1
			अम्बिकापुर	2
11 जिले		**26**	**26 विकासखण्ड**	**49**

क्रमशः..

(3)

आवेदन हेतु शर्तें एवं अन्य आवश्यक जानकारी

1) CFP एक 03 वर्षीय परियोजना है। इसके अंतर्गत चयनित NGOs/CSOs प्रथम 18 माह तक चयनित विकासखण्ड में कार्य करेंगे तत्पश्चात् भारत सरकार के निर्देशानुसार शेष 18 माह तक वे विभाग द्वारा निर्देशित दूसरे विकासखण्ड में कार्य करेंगे, जिसकी जानकारी सबंधित NGOs/CSOs को बाद में दी जावेगी। शेष 18 विकासखण्डों का चयन विभाग द्वारा बाद में किया जावेगा।

2) पंजीकृत NGO/CSO ही आवेदन करें। पंजीयन के प्रमाणपत्र की छायाप्रति आवेदन के साथ संलग्न किया जावे।

3) रूचि की अभिव्यक्ति (E.O.I.), स्पीड पोस्ट/पंजीकृत डाक के माध्यम से ही स्वीकार किया जावेगा।

4) **आवेदक NGOs/CSOs लगातार न्यूनतम पिछले 5 वर्ष से कार्यरत् होना चाहिए। इसके साक्ष्य के लिए पिछले 5 वर्ष में किये गये कार्यों की जानकारी देना है।**

5) आवेदक NGOs/CSOs को **महिला किसान सशक्तिकरण कार्यक्रम (MKSP) या वाटरशेड कार्यक्रम के अंतर्गत** GIS आधारित INRM (एकीकृत प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन) कार्यों को कराने का न्यूनतम 3 वर्ष का अनुभव होना चाहिये। इस संबंध में साक्ष्य सहित प्रमाणपत्र प्रस्तुत करें।

6) NGOs/CSOs से प्राप्त होने वाले E.O.I. में संस्था की प्रोफाईल, पंजीयन प्रमाणपत्र, बायलॉज, नियमावली, पिछले **05 वर्षों** का वार्षिक एवं ऑडिट रिपोर्ट, संस्था द्वारा पूर्व में अथवा वर्तमान में शासकीय योजनांतर्गत कार्य करने के अनुभव से संबंधित आवश्यक दस्तावेज, संस्था के पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं की सूची इत्यादि से संबंधित जानकारी समावेशित होना चाहिए।

7) **प्रेषित किये जाने वाले E.O.I., आयुक्त–महात्मा गांधी नरेगा द्वारा :– विकास आयुक्त कार्यालय, इन्द्रावती विभागाध्यक्ष भवन, ब्लॉक–1, भू–तल, कक्ष क्रमांक–43 (CIV), अटल नगर, नवा रायपुर (छ.ग.) को संबोधित होना चाहिए।**

8) E.O.I. में उस जिले एवं उस विकासखंड का नाम स्पष्ट रूप से उल्लेखित होना चाहिए जहां के लिये आवेदन किया जा रहा है। जिस E.O.I. में जिला एवं विकासखंड का नाम अंकित नहीं होगा, उस आवेदन/E.O.I. को निरस्त कर दिया जावेगा।

9) यदि कोई NGOs/CSOs एक से अधिक विकासखण्ड हेतु आवेदन करना चाहते है तो उन्हें प्रत्येक विकासखण्ड के लिये पृथक–पृथक आवेदन प्रस्तुत करना होगा। एक आवेदन एक से अधिक विकासखण्डों के लिये मान्य नहीं होगा।

10) **कोई भी NGO/CSO, 02 से अधिक विकासखण्डों हेतु आवेदन न करें।** किसी भी NGO/CSO को **02** से अधिक विकासखंडों में **CFP** का संचालन कार्य नहीं सौंपा जावेगा।

11) परियोजना संचालन हेतु, **CFP** के अंतर्गत चिन्हांकित प्रत्येक विकासखंड हेतु एक–एक NGO/CSO का चयन किया जावेगा।

12) **05 वर्ष से कम अनुभव** वाले तथा **15 लाख से कम वार्षिक टर्नओव्हर (Annual Turnover)** वाले NGO/CSO चयन हेतु अपात्र होंगे। उचित होगा कि ऐसे NGO/CSO कृपया आवेदन न करें।

क्रमशः..

13) CFP परियोजनांतर्गत चयनित 26 विकासखण्डों को क्लस्टर्स में विभाजित किया गया है जिसकी जानकारी विज्ञापन के प्रथम पृष्ठ में दी गई है। अलग–अलग क्लस्टर संख्या वाले विकासखण्डों हेतु आवेदन करने के लिये NGOs/CSOs का न्यूनतम **वार्षिक टर्नओव्हर (Annual Turnover)** निम्नानुसार होना चाहिये :–

(अ) 1 क्लस्टर वाले वि.ख. में आवेदन हेतु न्यूनतम वार्षिक टर्नओव्हर = **15 लाख**
(ब) 2 क्लस्टर वाले वि.ख. में आवेदन हेतु न्यूनतम वार्षिक टर्नओव्हर = **22 लाख**
(स) 2 से अधिक क्लस्टर वाले वि.ख. में आवेदन हेतु न्यूनतम वार्षिक टर्नओव्हर = **25 लाख**

14) चयन हेतु विभाग द्वारा प्रस्तावित मापदंडों के आधार पर **"राज्य स्तरीय चयन समिति"** के द्वारा प्रत्येक विकासखंड हेतु एक–एक पात्र NGO/CSO का चयन किया जावेगा।

15) NGO/CSO को अब तक प्राप्त/व्यय राशि का न्यूनतम विगत **05 वर्षों** का अद्यतन ऑडिट रिपोर्ट एवं वार्षिक रिपोर्ट आवेदन के साथ संलग्न होना चाहिये।

16) **E.O.I.** प्रेषित करने वाले प्रत्येक NGOs/CSOs के पास प्रत्येक विकासखण्ड हेतु 03 क्षेत्रों से संबंधित निम्नांकित संख्या में विशेषज्ञों का होना **अनिवार्य (Mandatory)** है :–

(i) GIS विशेषज्ञ (Geographic Information System Expert)–प्रत्येक वि.ख. हेतु संख्या – 01
(ii) NRM विशेषज्ञ (Natural Resource Management Expert)–प्रत्येक क्लस्टर हेतु संख्या – 01
(iii) आजीविका विशेषज्ञ (Livelihood Expert) –प्रत्येक क्लस्टर हेतु संख्या – 01

(किसी भी विकासखण्ड हेतु आवेदन करने के पूर्व यह देख लेवें कि उस विकासखण्ड में कुल कितने क्लस्टर है।)

टीप :–(1) उदाहरणार्थ यदि किसी विकासखण्ड में CFP के अंतर्गत 02 क्लस्टर्स हों तो इस विकासखण्ड के लिये 01 GIS विशेषज्ञ, 02 NRM विशेषज्ञ एवं 02 आजीविका विशेषज्ञ की आवश्यकता होगी।

(2) उपरोक्तानुसार उल्लेखित 03 क्षेत्रों के **Experts** हेतु शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव की जानकारी दर्शाने वाला विवरण पत्रक "परिशिष्ट–01" के रूप में संलग्न है। विवरण पत्रक में दर्शित वांछित योग्यता एवं अनुभव वाले अभ्यर्थी ही मान्य होंगे। **जिन NGOs/CSOs के पास आवश्यक संख्या में इन 03 क्षेत्रों के विशेषज्ञ उपलब्ध नहीं है वे कृपया आवेदन न करें। किसी भी NGOs/CSOs के पास वांछित संख्या में निर्धारित योग्यता वाले Experts की अनुपलब्धता की स्थिति में संबंधित NGOs/CSOs के E.O.I. पर विचार नहीं किया जावेगा।**

17) जिन विशेषज्ञों का होना अनिवार्य है उनके बायोडाटा की जानकारी पृथक से प्रारूप में दी जावे तथा सभी विशेषज्ञों की शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव प्रमाणपत्र की छायाप्रति भी **E.O.I.** के साथ संलग्न किया जावे। **(प्रारूप हेतु परिशिष्ट–02 देखें)**

18) **प्रस्तावित चयन प्रक्रिया** :– विभिन्न क्षेत्रों में कार्य के अनुभव, अभिलेख, ऑडिट, NGOs/CSOs के पास उपलब्ध विशेषज्ञों एवं प्रस्तुतीकरण (Power Point Presentation) के आधार पर 05–क्षेत्रों में निम्नानुसार कुल 100 अंक होंगे। यह अधिकतम अंक होगा। अंक निम्नानुसार प्रदान किया जावेगा :–

(अ) **मनरेगा के अलावा प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन (NRM) से संबंधित कार्य/वाटरशेड प्रबंधन/MKSP के अंतर्गत कार्य करने के अनुभव पर (अधिकतम–20 अंक)**

(i) 10 वर्ष से अधिक के अनुभव हेतु – 20 अंक
(ii) 5 वर्ष से अधिक तथा 10 वर्ष तक के अनुभव हेतु – 15 अंक
(iii) 5 वर्ष के अनुभव हेतु – 12 अंक

टीप :–**(5 वर्ष से कम अनुभव वाले NGOs/CSOs को कोई भी अंक प्रदाय नहीं किया जावेगा।)**

क्रमशः..

(5)

(ब) CFT (Cluster Facilitation Team) परियोजना के अंतर्गत कार्य करने/महात्मा गांधी नरेगा के अंतर्गत प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन एवं आजीविका तथा मानव दिवस सृजन के अंतर्गत कार्य करने के अनुभव पर (अधिकतम–20 अंक)

(i) 03 वर्ष से अधिक के अनुभव हेतु	–	20 अंक
(ii) 02 वर्ष से अधिक तथा 03 वर्ष तक के अनुभव हेतु	–	15 अंक
(iii) 01 वर्ष से 02 वर्ष तक के अनुभव हेतु	–	12 अंक

टीप :– *(2 वर्ष से कम अनुभव वाले NGOs/CSOs को कोई भी अंक प्रदाय नहीं किया जावेगा। इसके अलावा CFT परियोजना के संचालन में असंतोषजनक/खराब कार्यप्रदर्शन की वजह से जिन NGOs/CSOs की सेवायें राज्य कार्यालय द्वारा समाप्त कर दी गई थी, उन NGOs/CSOs को भी CFT परियोजना संचालन हेतु कोई भी अंक प्रदाय नहीं किया जावेगा।)*

(स) महात्मा गांधी नरेगा के अलावा महिला स्व–सहायता समूह गठन/आजीविका विकास के क्षेत्र में कार्य करने के अनुभव पर (अधिकतम–20 अंक)

(i) 10 वर्ष से अधिक के अनुभव हेतु	–	20 अंक
(ii) 5 वर्ष से अधिक तथा 10 वर्ष तक के अनुभव हेतु	–	15 अंक
(iii) 5 वर्ष के अनुभव हेतु	–	12 अंक

टीप :– (05 वर्ष से कम अनुभव वाले **NGOs/CSOs** को कोई भी अंक प्रदाय नहीं किया जावेगा।)

(द) जिले में राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय/शासकीय/अशासकीय संस्थाओं की परियोजनाएं क्रियान्वित करने के अनुभव पर (अधिकतम–20 अंक)

(i) 1 करोड़ से अधिक की परियोजना हेतु	–	20 अंक
(ii) 50 लाख से अधिक तथा 1 करोड़ तक की परियोजना हेतु	–	15 अंक
(iii) 15 लाख से 50 लाख तक की परियोजना हेतु	–	12 अंक

(15 लाख से कम परियोजना के अनुभव वाले **NGOs/CSOs** को कोई भी अंक प्रदाय नहीं किया जावेगा।)

टीप :–*(1) उपरोक्तानुसार उल्लेखित बिन्दु क्रमांक–"अ", बिन्दु क्रमांक– "स" एवं बिन्दु क्रमांक– "द" से संबंधित अनुभव मनरेगा (MGNREGA) के कार्यों से संबंधित अनुभव नहीं होना चाहिये। मनरेगा (MGNREGA) से संबंधित अनुभव हेतु मात्र बिन्दु क्रमांक– "ब" के अंतर्गत ही अंक प्रदाय किया जावेगा। अतः स्पष्ट है कि NRM से संबंधित कार्य, आजीविका से संबंधित कार्य इत्यादि में चार बिन्दुओं (अ, ब, स एवं द) में से किसी भी एक बिन्दु के ही अंतर्गत अंक प्रदाय किया जावेगा। एक ही प्रकार के अनुभव हेतु दो अलग–अलग बिन्दुओं में अंक प्रदाय नहीं किया जावेगा।*

(2) यदि किसी NGO/CSO द्वारा NRM/वाटरशेड प्रबंधन/महिला किसान सशक्तिकरण कार्यक्रम के अंतर्गत कार्य किया गया है तो उस NGO/CSO को उरोक्तानुसार उल्लेखित क्रमांक (अ) के अंतर्गत अंक प्रदाय किया जावेगा। इसे राष्ट्रीय/अंर्तराष्ट्रीय/शासकीय/अशासकीय संस्थाओं की परियोजना मानते हुये क्रमांक (द) के अंतर्गत अंक प्रदाय नही किया जावेगा। क्रमांक (द) के अंतर्गत पृथक से अंक तभी प्रदाय किया जा सकेगा जब क्रमांक (अ) एवं क्रमांक (द) में उल्लेखित अनुभव अलग–अलग कार्यों/परियोजनाओं से संबंधित है।

(3) यद्यपि कुछ क्षेत्रों में 01 से 03 वर्ष के अनुभव के लिये भी अंक दिया जाना प्रस्तावित है परन्तु यह मात्र उस क्षेत्र में अनुभव का वर्ष है। किसी भी NGO/CSO को आवेदन करने के लिये कुल 05 वर्ष का अनुभव आवश्यक है अर्थात् NGO/CSO का गठन न्यूनतम 05 वर्ष पूर्व हो गया था तथा इस अवधि में वह किसी न किसी क्षेत्र के कार्य में संलग्न है। इसका आशय यह है कि संबंधित आवेदक NGO/CSO, पिछले 05 वर्ष से कार्यरत् होना चाहिये। उदाहरणार्थ हो सकता है कि किसी NGO/CSO ने महात्मा गांधी नरेगा के अंतर्गत आजीविका के क्षेत्र में मात्र 03 वर्ष कार्य किया हो परन्तु वह पिछले 07 वर्ष से क्रियाशील (Active) हो।

क्रमशः..

(6)

(ई) **NGOs/CSOs द्वारा दिये जाने वाले प्रस्तुतीकरण (Power Point Presentation) पर अधिकतम–20 अंक**

आवेदन करने वाले NGOs/CSOs को उपरोक्तानुसार उल्लेखित **अ, ब, स एवं द** के आधार पर अंक प्रदान किया जावेगा, तत्पश्चात् प्रत्येक विकासखंड (जहां पर CFP संचालित किया जाना है) हेतु अधिकतम अंक अर्जित करने वाले प्रथम तीन NGOs/CSOs को **Power Point Presentation** हेतु राज्य स्तर पर आमंत्रित किया जावेगा। **Power Point Presentation** का अंक प्रदाय किये जाने के पश्चात् अंतिम मेरिट सूची/प्राथमिकता सूची बनायी जावेगी।

19) **आवेदन पत्र प्राप्त होने की अंतिम तिथि : 26/11/2020 की संध्या 5.00 बजे तक है।**

20) E.O.I. प्रेषित किये जाने वाले लिफाफे के ऊपर स्पष्ट रूप से लिखे कि :–
"विकासखण्ड –....., जिला – ..... हेतु CFP के लिए E.O.I."

21) दो या दो से अधिक NGOs/CSOs द्वारा समान अंक अर्जित करने की स्थिति में उस NGO/CSO का चयन किया जावेगा जिसे उस विकासखण्ड/जिले में, पूर्व में ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत कार्य करने का अनुभव हो।

22) परियोजना संचालन हेतु प्रत्येक विकासखण्ड में जिस क्षेत्र के अनुभव वाले विशेषज्ञों (Experts) की आवश्यकता है, उसका उल्लेख मासिक वेतन सहित "**परिशिष्ट–1**" में किया गया है। NGOs/CSOs द्वारा विकासखण्ड में नियुक्त किये जाने वाले विशेषज्ञों के वेतन के बराबर ही राशि भारत सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जावेगी। इस राशि को राज्य कार्यालय द्वारा संबंधित जिले के माध्यम से संबंधित CSOs को प्रदाय किया जावेगा। इस राशि के अलावा अन्य कोई भी राशि NGOs/CSOs को प्रदाय नहीं की जावेगी। चयनित NGOs/CSOs को राज्य सरकार/विभाग के साथ कार्य करने हेतु एक अनुबंध पत्र (Agreement) में हस्ताक्षर करना होगा।

संलग्न :– परिशिष्ट–1, परिशिष्ट–2 एवं आवेदन प्रारूप।

(मो. कैसर अब्दुलहक)
आयुक्त
महात्मा गांधी नरेगा
अटल नगर, नवा रायपुर (छ.ग.)

छत्तीसगढ़ शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

परिशिष्ट–01

CFP (Cluster Facilitation Project) के संचालन हेतु E.O.I. (Expression of Interest) प्रस्तुत करने वाले NGOs/CSOs के पास निम्नांकित 03 क्षेत्रों से संबंधित अनुभव वाले विशेषज्ञों का उपलब्ध होना अनिवार्य (Mandatory) है।

विशेषज्ञों की शैक्षणिक योग्यता/अनुभव से संबंधित विवरण पत्रक

Thematic expert/position	Emolument /Month	Qualification	Experiences	Roles & Responsibilities
Block GIS Coordinator **(01 No. for each block)**	Rs. 35,000 plus Travelling allowance @ max. 20 % of Emoluments based on actual bills.	M.Tech/M.E./M.Sc. in Geographic Information Science or Technology/ Remote Sensing & GIS /Geo Spatial Technology/ Geo-Informatics/Geo Spatial Science/ Surveying and Geo-Informatics/ **OR** BE/B.Tech with PG Diploma in Geographic Information Science/Remote Sensing from recognized University/Institute **OR** MCA with PG Diploma in Geographic Information Science/Remote Sensing from recognized University/Institute **OR** Post Graduate in Science / Agricultural Science with PG Diploma in Geographic Information Science/Remote Sensing from recognized University/Institute.	At least 1 year 6 months of work experience in GIS-based projects at field level in reputed government funded organizations like NIRD &PR, NRSC, SRSAC etc. or similar reputed organizations working on GIS based projects.	1. Coordination with District officials and provide all support to the project team for proper planning and implementation of the Mahatma Gandhi NREGS. 2.Prepare GIS Based plan for all the GPs of the block on saturation mode with the permissible activities and complete the plans within six months. 3. Any other work assigned as and when by the competent authority.

8

परिशिष्ट–01

Thematic expert/position	Emolument /Month	Qualification	Experiences	Roles & Responsibilities
Block NRM Expert **(01 No. for each Cluster)**	Rs. 30,000 plus Travelling allowance @ max. 20 % of emoluments based on actual bills.	B.Tech in Civil Engineering/ Agriculture Engineering/ Diploma in Civil Engineering	At least 2 years work experience for candidate with B.Tech/ 4 years work experience for candidates with Diploma. The work experience must be on rural infrastructure project/NRM project while working with reputed organization.	1. Provide inputs for preparing GIS plan to GIS expert and validate the GIS plan on ground and also assist in approval and implementation of the plan. 2. Prepare design, plan and estimates of the works. 3. Provide lay out of the works and monitor the works execution and completion. 4. Actively work to create social awareness about rights and entitlements of Mahatma Gandhi NREGS. 5. Any other work assigned as and when by the competent authority.
Block Livelihood Expert (Agriculture & Allied) **(01 No. for each Cluster)**	Rs. 30,000 plus Travelling allowance @ max. 20 % of Emoluments based on actual bills.	Masters in Agricultural Economics/ Horticulture/Agro-forestry/ Agronomy/ Forestry	At least 2 years work experience with reputed organizations working towards improvement of rural livelihoods. The work experience should be primarily on use of agriculture and allied activities for enhancement of incomes of rural poor.	1. Prepare the plan for plantation, horticulture and livelihood works of the GPs in the Gram Sabha. 2. Prepare design, plan and estimates of the works. 3. Provide layout of the works and monitor the works execution and completion. 4. Actively work to create social awareness about rights and entitlements of MGNREGS. 5. Any other work assigned as and when by the competent authority.

परिशिष्ट–2

NGO/CSO का नाम – .....

आवेदित विकासखण्ड का नाम–.....

विकासखण्ड में CFP के अंतर्गत प्रस्तावित क्लस्टर संख्या :–.....

CFP संचालन हेतु प्रस्तुत E.O.I. के अनुक्रम में NGO/CSO से सम्बद्ध 03 क्षेत्रों के Experts का बायोडाटा

क्र.	विशेषज्ञ का नाम	शैक्षणिक योग्यता	कुल अनुभव (वर्षों में)	अनुभव का क्षेत्र	अनुभव का संक्षिप्त विवरण	मोबाईल नंबर	रिमार्क
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1				भौगोलिक सूचना प्रणाली (GIS)			
2				प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन (NRM)			
3				प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन (NRM)			
4				प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन (NRM)			
5				आजीविका (Livelihood-Agricultrue & Allied)			
6				आजीविका (Livelihood-Agricultrue & Allied)			
7				आजीविका (Livelihood-Agricultrue & Allied)			

टीप :– (1) प्रत्येक विकासखण्ड हेतु GIS Expert सिर्फ एक चाहिए तथा प्रत्येक क्लस्टर हेतु एक–एक NRM और Livelihood Expert चाहिये। तदानुसार इस प्रारूप की पूर्ति करें।
(2) विशेषज्ञों की शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव हेतु परिशिष्ट–1 देखें। विशेषज्ञों की शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव से संबंधित प्रमाणपत्रों की छायाप्रति संलग्न करें।

हस्ताक्षर / सील
संस्था प्रमुख

(10)

आवेदन पत्र का प्रारूप

प्रति,

आयुक्त,
महात्मा गांधी नरेगा,
द्वारा :– विकास आयुक्त कार्यालय,
ब्लॉक–1, भू–तल, कक्ष क्रमांक–**43 (CIV)**,
इन्द्रावती भवन, अटल नगर, नवा रायपुर (छ.ग.)

विषयः– **Cluster Facilitation Project (CFP)** संचालित करने हेतु **Expression of Interest (E.O.I.)** प्रस्तुत करने बाबत्।

––00––

महोदयजी,

विषयांतर्गत लेख है कि हमारी संस्था (NGO/CSO का नाम–.....) म.प्र./छ.ग. सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम के अधीन दिनांक–..... से पंजीकृत है तथा संस्था का पंजीयन क्रमांक–..... है। हमारी संस्था **CFP** संचालन हेतु इच्छुक है। आपके द्वारा जारी विज्ञापन के अनुसार, विकासखण्ड स्तर पर परियोजना संचालन हेतु जितने विशेषज्ञों की आवश्यकता है, वे विशेषज्ञ हमारी संस्था के पास उपलब्ध है। हमारी संस्था का वार्षिक टर्नओव्हर ..... लाख है। इससे संबंधित दस्तावेज आवेदन के साथ संलग्न है। विकासखण्ड ..... जिला –..... में परियोजना संचालन हेतु संस्था की प्रोफाइल, पंजीयन प्रमाणपत्र, बायलॉज, नियमावली, पिछले 05 वर्षो का वार्षिक एवं ऑडिट रिपोर्ट, संस्था के पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं की सूची, संस्था द्वारा पूर्व में/वर्तमान में शासकीय योजनांतर्गत कार्य करने के अनुभव से संबंधित सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाणपत्र एवं अन्य दस्तावेज तथा परियोजना संचालन हेतु आवश्यक विशेषज्ञों का बायोडाटा एवं अन्य आवश्यक अभिलेखों के साथ **E.O.I.** आपकी ओर प्रेषित है।

स्थान –.....
दिनांक– .....

(हस्ताक्षर.....)
नाम .....
पदनाम .....
NGO/CSO का नाम .....